अध्याय III

वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपवर्तन के प्रस्ताव

अध्याय III
वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपवर्तन के प्रस्ताव

इस अध्याय में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनार्थ अपवर्तन हेतु मिले प्रस्तावों पर प्रक्रिया करने में हुए विलम्ब से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित नौ मण्डलों में वन संरक्षण अधिनियम मामलों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का विस्तृत विश्लेषण समाविष्ट हैं।

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2020-21 के मध्य प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रास्थिति

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों (जलविद्युत परियोजनाएं, सड़क, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि) द्वारा 1,018 मामले वन मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए। 78 मामलों (आठ प्रतिशत) में सैद्धांतिक अनुमोदन एवं 164 मामलों (16 प्रतिशत) में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया, जबकि 766 (75 प्रतिशत) मामले सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु लंबित थे। इसका वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का वर्ष-वार विवरण

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मामले प्रस्तुत करने का वर्ष	प्राप्त किए गए मामले	अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के मध्य सैद्धांतिक अनुमोदन	अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के मध्य अंतिम अनुमोदन	अस्वीकृत	प्रयोक्ता एजेंसी के पास अनुपालनार्थ लंबित	राज्य वन प्राधिकारियों/सरकार के पास लंबित
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	217[1]	21	84	3	101	8
2017-18	158	24	38	2	86	8
2018-19	177	18	21	2	123	13
2019-20	170	10	19	1	119	21
2020-21	296	5	2	2	207	80
योग	**1,018**	**78**	**164**	**10**	**636**	**130**

स्रोत: ई-परिवेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

[1] वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग को वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रक्रिया हेतु 217 मामले प्राप्त हुए। इनमें से अप्रैल 2016 व मार्च 2021 की अवधि के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रमशः 21 मामलों को सैद्धांतिक मंजूरी व 84 मामलों को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई; अप्रैल 2016 व मार्च 2021 की अवधि के दौरान तीन मामले अस्वीकृत किए गए एवं 93 मामले अनुमोदनार्थ लंबित थे तथा 16 मामलों को मार्च 2021 के बाद सैद्धांतिक व अंतिम मंजूरी दी गई। इसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2017 से 2021 हेतु दर्शाई गई है।

वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य आवेदित लंबित 766 मामलों में से 379[2] (49 प्रतिशत) मामले सड़क, 82 (11 प्रतिशत) जलविद्युत परियोजना, 33 (चार प्रतिशत) खनन व उद्योग, 25 (तीन प्रतिशत) शिक्षण संस्थान, 27 (चार प्रतिशत) ट्रांसमिशन लाइन, 22 (तीन प्रतिशत) पेयजल/सिंचाई, 15 (दो प्रतिशत) सीवरेज प्रशोधन संयंत्र, तीन (एक प्रतिशत) रेलवे एवं 180 (23 प्रतिशत) अन्य[3] से सम्बंधित पाए गए।

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान अनुमोदनार्थ लंबित 766 मामलों में से 130 मामले (17 प्रतिशत) राज्य वन विभाग में विभिन्न स्तरों पर लंबित थे, जबकि 636 मामले (83 प्रतिशत) या तो मसौदा (ड्राफ्ट) रूप[4] में थे या प्रयोक्ता एजेंसी स्तर पर लंबित थे।

वन संरक्षण नियम 2003 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी, जो किसी वन भूमि का वनेत्तर उदेश्यार्थ उपयोग करना चाहती है, उसे संबंधित राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण अपेक्षित जानकारी एवं दस्तावेज सहित इन नियमों से जुड़े सुसंगत फॉर्म (भाग-I) में अपना प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण है तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, नोडल अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के दस दिन की अवधि के भीतर संबंधित वन मंडलाधिकारी को प्रस्ताव भेजेगा। यदि नोडल अधिकारी को प्रस्ताव अपूर्ण लगता है, तो वह इसे दस दिनों की अवधि के भीतर प्रयोक्ता एजेंसी को वापस कर देगा एवं इस समयावधि व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए नहीं गिना जाएगा।

प्रयोक्ता एजेंसियों में लंबित 60[5] मामलों (636 में से) के नमूने की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच की गई। इनमें से 45 प्रस्ताव[6] नोडल अधिकारी द्वारा अपूर्ण पाए गए एवं कमियों के निवारण हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों को वापस भेज दिए गए। 25 प्रस्तावों में (उपरोक्त 45 में से) प्रयोक्ता एजेंसियों ने नोडल अधिकारी को प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत नहीं किए एवं शेष 20 प्रस्तावों में हालांकि प्रयोक्ता एजेंसी ने प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किया, परन्तु उन्हें नोडल अधिकारी ने फिर से अपूर्ण पाया और प्रयोक्ता एजेंसी को वापस भेज दिया (एवं उनके पास लंबित रहा)।

इसके अतिरिक्त शेष 15 प्रस्तावों[7] (60 में से) में नोडल अधिकारी ने प्रस्तावों को स्वीकार कर संबंधित वन मंडलाधिकारी को आगामी प्रक्रिया हेतु भेज दिया। हालांकि वन मंडलाधिकारी को प्रस्ताव में कमियां मिली और कमियों के निवारण हेतु उन्हें प्रयोक्ता एजेंसियों को वापस भेज

---

2 स्रोत - ई-परिवेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

3 ये विविध प्रकार की परियोजनाएं हैं जैसे पार्किंग, अस्पताल, रोपवे, आंगनवाड़ी केंद्र आदि।

4 ड्राफ्ट रूप - प्रारंभ में प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्ताव नोडल अधिकारी को सौंपती है। यदि नोडल अधिकारी को लगता है कि प्रस्ताव अधूरा है, तो मामला ड्राफ्ट के रूप में प्रयोक्ता एजेंसी को वापस कर दिया जाता है।

5 जल विद्युत - नौ (सभी निजी); पेयजल - एक; अन्य - 22 (निजी - चार); सड़कें - 23; स्कूल (एक एनजीओ/एक निजी); सबस्टेशन - एक व ट्रांसमिशन लाइन - एक

6 प्रयोक्ता एजेंसियों ने ये 45 प्रस्ताव अप्रैल 2016 व दिसंबर 2019 के मध्य प्रस्तुत किए।

7 प्रयोक्ता एजेंसियों ने ये 15 प्रस्ताव अक्टूबर 2018 व नवंबर 2019 के मध्य प्रस्तुत किए।

दिया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इन 15 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए गए (भाग-I में कमियां)। इस प्रकार नोडल अधिकारी द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार करने और बाद में वन मंडलाधिकारी से प्रयोक्ता एजेंसियों में उन्हें वापस करने के परिणामस्वरूप सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों पर प्रक्रिया करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.1 सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने की समय-सीमा

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर इस पर प्रक्रिया करके केंद्र सरकार (मामले के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय) को अग्रेषित करना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार ने प्रत्येक मामले में क्षेत्र विशेष हेतु एवं विशिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु सामान्य अनुमोदन दिया है, वहां वन संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने की समय-सीमा **चार्ट 3.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.1: विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया व समय-सीमा

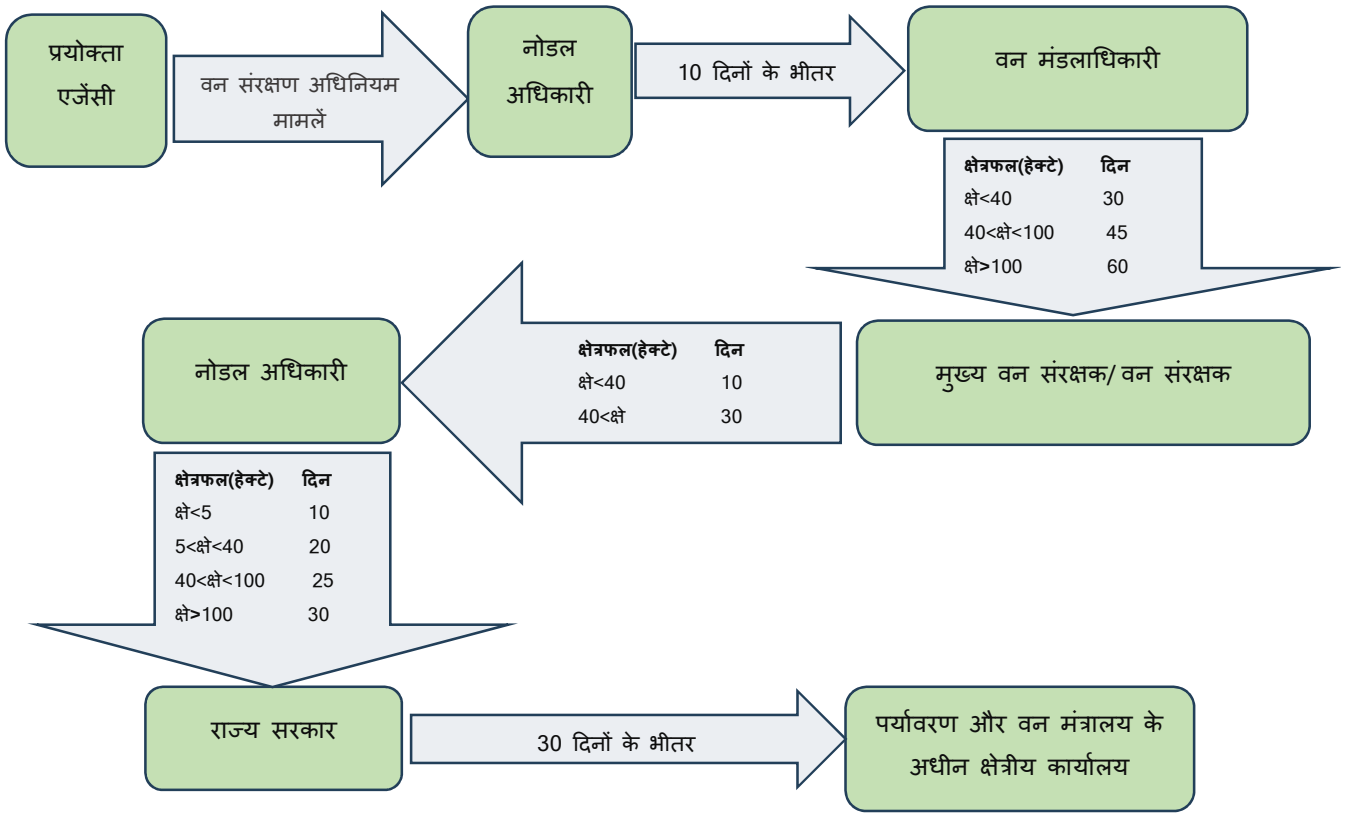

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

3.1.2 सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 366[8] प्रस्तावों को चरण-I अनुमोदन दिया गया, इनमें से 344 मामलों को केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया एवं सामान्य अनुमोदन[9] श्रेणी (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे) के अंतर्गत आने वाले 22 मामलों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

I. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 344 मामलों में से केवल 129 मामलों (38 प्रतिशत) पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180 दिनों की समयावधि के भीतर प्रक्रिया कर क्षेत्रीय कार्यालय में अग्रेषित किए गए। शेष 215 मामलों (62 प्रतिशत) पर प्रक्रिया करने व अग्रेषित करने में औसतन 230 दिन प्रति मामले का विलंब देखा गया। 169 मामलों (79 प्रतिशत) में 365 दिनों का विलम्ब था जबकि शेष 46 मामलों (21 प्रतिशत) में 365 दिनों से अधिक व 1,416 दिनों तक का विलम्ब था।

II. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य अनुमोदन दिए गए 22 मामलों में से 12 मामलों (55 प्रतिशत) पर वन विभाग द्वारा 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया कर राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। शेष 10 मामलों (45 प्रतिशत) में प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 130 दिन प्रति मामले का विलम्ब देखा गया। नौ मामलों (90 प्रतिशत) में 365 दिनों तक का जबकि शेष एक मामले में 580 दिनों विलम्ब हुआ।

विभिन्न स्तरों यानी नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, वन मंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक व राज्य सरकार पर हुआ विलम्ब **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब

प्रक्रिया स्तर	मामलों की कुल संख्या	मामले जिन पर समयसीमा में प्रकिया की गई (कोष्ठक में प्रतिशत)	मामले जिन पर विलम्ब से प्रकिया की गई	मामलों पर प्रकिया करने में औसत विलम्ब (दिनों में)
नोडल अधिकारी से वन मंडलाधिकारी	366	110 (30)	256	47
वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक	366	130 (36)	236	132
वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से नोडल अधिकारी	366	141 (39)	225	47
नोडल अधिकारी से राज्य सरकार	366	25 (7)	341	85
राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय	344	316 (92)	28	20

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

[8] इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो अप्रैल 2016 से पहले प्रस्तुत किए गए थे।

[9] केंद्र सरकार कुछ शर्तों के अधीन निर्दिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु सामान्य मंजूरी देती है। इन मामलों में वन भूमि के अपवर्तन या अस्वीकृति का निर्णय संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है तथा निर्णय की एक प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व उसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाती है।

जैसाकि **तालिका 3.2** से स्पष्ट है, विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया करने में आठ प्रतिशत से (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 93 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) के मध्य का विलम्ब था। मामलों पर प्रक्रिया करने में औसतन विलम्ब 20 दिन (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) एवं 132 दिन (वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक तक) के मध्य का था।

चार्ट 3.2: सभी मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर विलंब से प्रक्रिया किए गए मामले

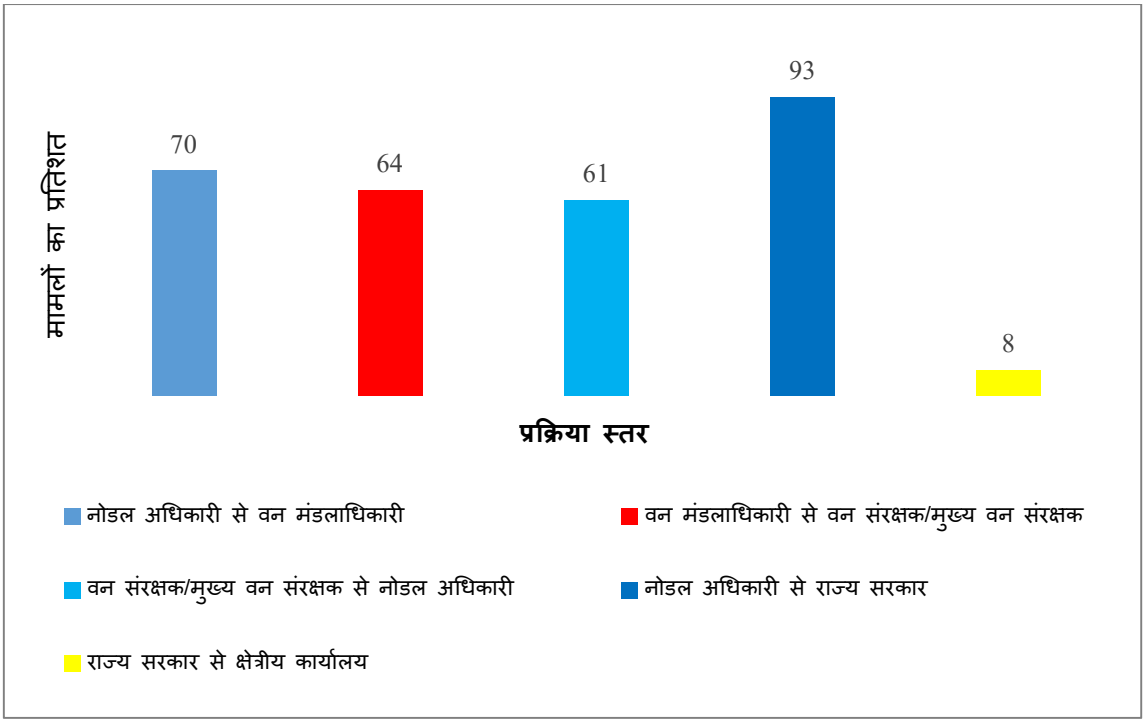

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

3.1.2.1 चयनित मण्डलों में सैद्धांतिक अनुमोदन देने की प्रक्रिया में विलम्ब

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान नौ नमूना-जांचित मण्डलों में 89[10] प्रस्तावों को चरण-I मंजूरी दी गई, जिनमें से 82 मामलों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया एवं सामान्य मंजूरी श्रेणी (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं व महत्वपूर्ण/रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे) के अंतर्गत आने वाले सात मामलों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

I. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 82 मामलों में से केवल 33 मामलों (40 प्रतिशत) पर प्रक्रिया कर 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय अग्रेषित किए गए। शेष 49 मामलों (60 प्रतिशत) पर प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 287 दिन प्रति मामले

[10] इन मामलों में से 57 मामले प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा अप्रैल 2016 व मार्च 2021 के मध्य प्रस्तुत किए गए एवं शेष 32 मामले अप्रैल 2016 से पहले प्रस्तुत किए गए।

का विलम्ब पाया गया। 35 मामलों (71 प्रतिशत) में 365 दिनों तक का, जबकि शेष 14 मामलों (29 प्रतिशत) में 365 दिनों से अधिक व 1,185 दिनों तक का विलम्ब था।

II. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य मंजूरी प्राप्त सात मामलों में से चार मामलों (57 प्रतिशत) पर वन विभाग ने 180 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया करके राज्य सरकार को अग्रेषित किया। शेष तीन मामलों (43 प्रतिशत) में प्रक्रिया करने एवं अग्रेषण में औसतन 84 दिन प्रति मामले का विलम्ब पाया गया।

नमूना-जांचित मण्डलों में नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, वन मंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक व राज्य सरकार जैसे विभिन्न स्तरों पर हुआ विलम्ब **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: चयनित मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में विलम्ब

प्रक्रिया स्तर	मामलों की कुल संख्या	मामले जिन पर समयसीमा में प्रकिया की गई (कोष्ठक में प्रतिशत)	मामले जिन पर विलम्ब से प्रकिया की गई	मामलों पर प्रकिया करने में औसत विलम्ब (दिनों में)
नोडल अधिकारी से वन मंडलाधिकारी	89	25 (28)	64	42
वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक	89	23 (26)	66	136
वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से नोडल अधिकारी	89	27 (30)	62	70
नोडल अधिकारी से राज्य सरकार	89	9 (10)	80	73
राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय	82	76 (93)	6	21

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

जैसाकि **तालिका 3.3** से स्पष्ट है विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया करने में सात प्रतिशत से (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) से 90 प्रतिशत (नोडल अधिकारी से राज्य सरकार तक) के मध्य का विलम्ब था। मामलों पर प्रक्रिया करने में औसतन 21 दिन (राज्य सरकार से क्षेत्रीय कार्यालय तक) एवं 136 दिन (वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक तक) के मध्य का विलम्ब था।

चार्ट 3.3: चयनित मण्डलों में विभिन्न स्तरों पर विलंब से प्रक्रिया किए गए मामले

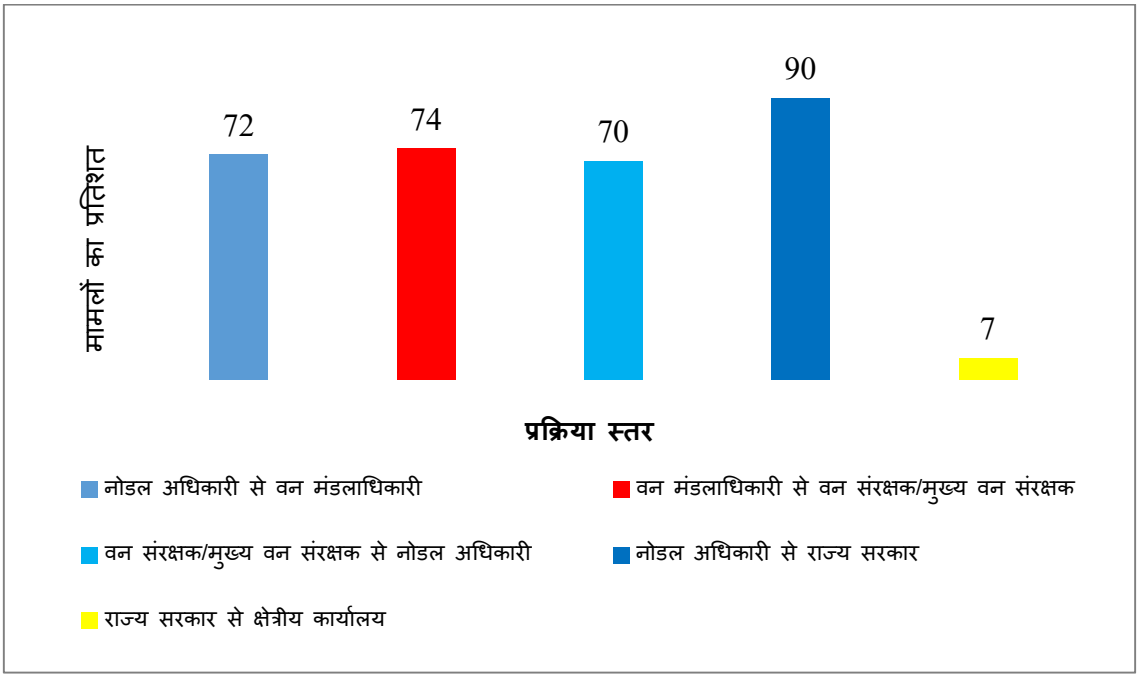

स्रोत: परिवेश: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल

राज्य में लगभग 68 प्रतिशत भूमि विधिक रूप से वन भूमि के रूप में वर्गीकृत है, अतः राज्य की अधिकांश विकास परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रकार विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर भारी विलंब से प्रक्रिया करने के परिणामस्वरूप इसके अभीष्ट लाभार्थी इन परियोजनाओं/योजनाओं का समय पर लाभ लेने से वंचित रह गए साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियां भी समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी।

विभाग ने अंतिम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2023) तथा वन संरक्षण अधिनियम मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब हेतु मंजूरी की बोझिल प्रक्रिया, प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं विभाग में कार्य की धीमी प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। यह भी स्वीकार किया कि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा ई-परिवेश पोर्टल पर प्रस्तावों/पत्राचारों को ऑनलाइन अपलोड करने से वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया में सुधार होगा।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.3 वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित मण्डलों में वन संरक्षण अधिनियम मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण

वर्ष 2016-17 व 2020-21 के मध्य चयनित नौ मण्डलों में कुल 58 **(परिशिष्ट 3.1)** मामले प्रस्तावित किए गए जिन पर अंतिम अनुमोदन दिया गया। इन 58 मामलों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई-परिवेश वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया की गई।

इन 58 मामलों में 458 हेक्टेयर क्षेत्र का अपवर्तन किया गया, जैसाकि **तालिका 3.4** में विवर्णित है।

तालिका 3.4: अपवर्तित क्षेत्र एवं जमा की गई निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा निवल वर्तमान मूल्य (दंडात्मक निवल वर्तमान मूल्य सहित)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा जलागम क्षेत्र शोधन योजना की लागत	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
58	458	921	16.82	33.79	17.31	182	2.04

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन में निर्धारित शर्तानुसार अंतिम अनुमोदन की तिथि से एक से दो वर्ष के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए। इस प्रकार अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के मध्य स्वीकृत मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण मार्च 2021[11] से पूर्व किया जाना था।

तदनुसार उपरोक्त अवधि में 27 ऐसे मामले थे जहां मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना था।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.3.1 मामले जहां प्रतिपूरक वनीकरण किया गया

मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित 27 मामलों में से 13 मामलों में एवं तीन मामलों (अप्रैल 2019 व मार्च 2021 के मध्य स्वीकृत शेष 31 में से) में भी प्रतिपूरक वनीकरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

तालिका 3.5: प्रतिपूरक वनीकरण किए गए मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
16	91	182	3.38	182	2.04

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

यह भी पाया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन के अनुसार इन वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों के सापेक्ष 12,206 वृक्ष (4,730 पौधे

[11] एकरूपता के उद्देश्य से प्रतिपूरक वनीकरण करने हेतु अंतिम मंजूरी की तिथि से दो वर्ष की अवधि को अनुग्रह अवधि के रूप में लिया गया है।

सहित) काटे गए एवं विभाग ने प्रतिपूरक वनीकरण के मानदंडों के अनुसार 2,00,200 पौधे लगाए (प्रति हेक्टेयर 1,100 पौधे)।

3.1.3.2 मामले जहां प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया

शेष 14 मामलों में (27 में से) कोई प्रतिपूरक वनीकरण नहीं किया गया, जैसाकि **तालिका 3.6** में विवर्णित है।

तालिका 3.6: प्रतिपूरक वनीकरण न किए गए मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर)	किया जाने वाला प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिपूरक वनीकरण राशि	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेयर)	प्रतिपूरक वनीकरण करने एवं रखरखाव पर किया गया व्यय
14	165	326	6.01	0	0

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

इस प्रकार **तालिका 3.6** से स्पष्ट है कि मार्च 2021 से पूर्व प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु अपेक्षित 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, जबकि विभाग के पास इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधियां उपलब्ध थी।

यह भी देखा गया कि यद्यपि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन के अनुसार इन वन संरक्षण अधिनियम प्रस्तावों के प्रति 2,081 वृक्षों की कटाई की गई तथापि प्रतिपूरक वनीकरण न करने के कारण वृक्षों की हानि की पूर्ति नहीं की जा सकी, जिससे वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया।

इसके अतिरिक्त वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने हेतु निर्धारित इन 14 मामलों में से तीन मामलों (6.31[12] हेक्टेयर वन भूमि सहित) में 6.71 हेक्टेयर वनेत्तर भूमि को वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित/नामांतरित किया गया, अतः भूमि की हानि की क्षतिपूर्ति की गई। हालांकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत भूमि को अभी तक आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित नहीं किया गया था। यह अधिनियम के तहत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन देते समय अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन था।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4 वन संरक्षण अधिनियम मामलों के चयनित मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण

चयनित नौ मण्डलों के उन 27 मामलों में से, जहां मार्च 2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना अपेक्षित था, 14 मामलों में नहीं हुआ। इस प्रकार कुल 16 मामले (उन तीन मामलों सहित

[12] 1.0284 हेक्टेयर , 1.6958 हेक्टेयर व 3.5863 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला क्रमशः चम्बा, धर्मशाला व कुल्लू वन मण्डल का एक-एक मामला।

जहां देय तिथि दूर होने के बावजूद प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण किया गया) हमारे 360-डिग्री विश्लेषण (पूर्ण-रूपेण विश्लेषण) के नमूने बने, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.1.4.1 मामलों के अपूर्ण विवरण

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इन 16 मामलों का विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: 360-डिग्री विश्लेषण वाले मामलों का विवरण

मण्डल	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	वर्गीकरण	नोडल कार्यालय को प्रस्ताव की तिथि	अपवर्तित किए जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)
कुल्लू	एफपी/एचपी/वीईएलईसी /23144/2016	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	गांव विद्युतीकरण	20-दिसंबर-16	0.12
कुल्लू	एफपी/एचपी/अन्य /34283/2018	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अन्य	20-जून-18	0.2356
धर्मशाला	एफपी/एचपी/अन्य /23209/2016	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	अन्य	28-दिसंबर-16	0.4608
कुल्लू	एफपी/एचपी/अन्य /18885/2016	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	अन्य	11-अप्रैल-16	0.7783
धर्मशाला	8B/ एचपीबी /09/12/2016	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अन्य	16-मार्च-15	0.9036
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /18431/2016	गांव जठानी तक संपर्क सड़क (लिंक रोड)	सड़क	12-मार्च-16	1.3226
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /13036/2015	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	सड़क	2- जून -15	1.3796
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /16051/2015	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	सड़क	21-अक्टूबर-15	1.7118
कुल्लू	एफपी/एचपी/एमआईएन /11411/2015	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	खनन	31- मार्च -15	2.1754
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /20697/2016	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	सड़क	9-अगस्त-16	2.39
सेराज	एफपी/एचपी/अन्य /18285/2016	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	5- मार्च -16	2.8
सेराज	एफपी/एचपी/अन्य /23885/2017	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	8-फरवरी-17	3.1239
सेराज	एफपी/एचपी/सड़क /20535/2016	तलारा ब्रिज से पनवी रोड का निर्माण	सड़क	19-जुलाई-16	4.148
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /18373/2016	बुआई तक लिंक रोड	सड़क	9- मार्च -16	4.514775
कुल्लू	एफपी/एचपी/ट्रांस /16814/2015	कुल्लू जिले में भनाग से प्रीणी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	16-दिसंबर-15	10.9119
कुल्लू	एफपी/एचपी/सड़क /21272/2016	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	सड़क	7-सितम्बर-16	53.5242

स्रोत: परिवेश व मण्डलीय आंकड़े

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी हेतु बनाए गए निगरानी तंत्र, ई-ग्रीन वॉच[13] पोर्टल की संबंधित प्रविष्टियों में इन परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित विवरण सूचीबद्ध किए गए हैं:

तालिका 3.8: ई-ग्रीन वॉच की प्रविष्टियां

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	उद्देश्य	जीपीएस आईडी	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अवस्थिति
कुल्लू	2017	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	गांव विद्युतीकरण	19577	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
धर्मशाला	अनुपलब्ध	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
धर्मशाला	अनुपलब्ध	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अन्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल्लू	2019	गांव जठानी तक लिंक रोड	सड़क	19576	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	सड़क	19575	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	सड़क	19573	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	माण्डलगढ़ बीट
कुल्लू	2018	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	खनन	19490	पार्टाप क्रशर मनाली	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	सड़क निर्माण	19605	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
सेराज	2019	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	18296	अनुपलब्ध	बनोगी के पास
सेराज	2019	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अन्य	18961	अनुपलब्ध	सैंज शहर के पास
सेराज	2020	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	गांवों से संपर्क	18496	अनुपलब्ध	तलारा VII के पास
कुल्लू	2018	बुआई तक लिंक रोड	सड़क निर्माण	19574	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	ट्रांसमिशन लाइन	19590	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	अनुपलब्ध

13 ई-ग्रीन वॉच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित) का एक वेब-आधारित ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा वानिकी क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी व मूल्यांकन हेतु अस्थायी परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह एप्लिकेशन गूगल अर्थ इमेजरीज़ व एफएसआई पोर्टल पार प्रतिपूरक वनीकरण, अपवर्तित भूमि, वृक्षारोपण, अन्य वृक्षारोपण एवं संपत्ति श्रेणियों को दिखाने में सक्षम है।

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	उद्देश्य	जीपीएस आईडी	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अवस्थिति
कुल्लू	अनुपलब्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	सड़क	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच

यह पाया गया कि संबंधित मण्डलों ने अवस्थिति, वन संरक्षण अधिनियम फ़ाइल संख्या, अधिसूचना आदेश संख्या, इत्यादि जैसे आवश्यक विवरण डेटाबेस में अपडेट नहीं किए, जबकि ये विवरण अपलोड करना अपेक्षित थे। आठ मामलों में तो प्रयोक्ता एजेंसी का नाम तक अपडेट नहीं किया गया। इन 16 मामलों में से पांच मामलों की कोई जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। इस प्रकार वह महत्वपूर्ण जानकारी जो ई-ग्रीन वॉच डेटा को विशिष्ट परियोजनाओं से उचित रूप से जोड़ सकती थी, अपलोड ही नहीं की गई। इससे पोर्टल के रूप में पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.2 सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब

सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने की प्रक्रिया एक समयबद्ध प्रक्रिया है। प्रावधानानुसार परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाया जाए। इस प्रयोजन हेतु संशोधित आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाने के लिए कुल 180 दिन का समय दिया गया है। इन 16 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने में विभिन्न स्तरों पर उल्लेखनीय विलम्ब हुआ, जैसाकि **तालिका 3.9** में विवर्णित है।

तालिका 3.9: सैद्धांतिक अनुमोदन देने में विलम्ब

(संख्या में दिन)

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	कुल विलम्ब	नोडल से वन मंडलाधिकारी	वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक	वन संरक्षक से नोडल
1	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	08-जून-17	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	52	कोई विलम्ब नहीं
2	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	02-जुलाई-18	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
3	बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	10-मार्च-17	कोई विलम्ब नहीं	2	कोई विलम्ब नहीं	5

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि	कुल विलम्ब	नोडल से वन मंडलाधिकारी	वन मंडलाधिकारी से वन संरक्षक	वन संरक्षक से नोडल
4	सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	05-जुलाई-16	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
5	नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	01-दिसंबर-16	142	22	52	35
6	गांव जठानी तक लिंक रोड	28-जुलाई-17	162	47	129	10
7	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	23-जून-17	62	38	26	90
8	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	28-अगस्त-17	144	1	36	92
9	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	18-अगस्त-17	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
10	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	03-अगस्त-18	276	36	213	73
11	शासकीय डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	16-नवम्बर-18	286	16	252	60
12	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	22-फरवरी-19	257	कोई विलम्ब नहीं	183	73
13	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	26-दिसंबर-18	482	269	199	57
14	बुआई तक लिंक रोड	22-मई-17	166	189	1	4
15	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	26-जून-18	575	24	267	17
16	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	09-जून-17	कोई विलम्ब नहीं	4	4	37

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेब पोर्टल परिवेश

जैसाकि **तालिका 3.9** से स्पष्ट है छः मामलों में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ, जिसमें एक निजी परियोजना स्टोन क्रशर भी शामिल है, जहां क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुतीकरण के किसी भी

चरण में विलम्ब नहीं हुआ। 10 अन्य परियोजनाओं (सभी सार्वजनिक परियोजनाएं) में 255 दिनों के औसत विलम्ब सहित 62 से 575 दिनों तक का विलम्ब पाया गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.3 चयनित मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के मुद्दे

सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालनोपरांत परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन दिया गया। परियोजनार्थ आवश्यक निधियों की राशि का विश्लेषण किया गया, जो **तालिका 3.10** में सारणीबद्ध है।

तालिका 3.10: किए गए प्रतिपूरक वनीकरण एवं उस पर हुए व्यय का मामला-वार विवरण

(राशि ₹ में)

प्रस्ताव का नाम	अंतिम अनुमोदन की तिथि	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डल अभिलेख में क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव एवं आकस्मिकताएं	प्रतिपूरक वनीकरण पर हुआ व्यय (रखरखाव सहित)
33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	20-नवम्बर-17	बारागढ़ III	2020-21	0.2	54,850	21,885
आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	31-अगस्त-18	उपलब्ध नहीं	2020-21	0.5	10,21,732	54,712
बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में बस स्टैंड	05-मई-17	सीएफएस दानोआ	2018-19	1	78,369	1,14,372
सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	22-मार्च-17	2/10 पतालसु सी-आईआईबी	2018-19	1.56	3,17,500	1,78,420
नगरोटा बागवां में एचआरटीसी कार्यशाला	02-मार्च-17	पी.40 के सीबी करेरी	2018-19	2	1,66,989	2,28,744
गांव जठानी तक लिंक रोड	27-फरवरी-19	तारापुर-III (जठानी)	2020-21	2.66	3,15,609	2,91,068
ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	06-फरवरी-18	तारापुर-III	2020-21	2.76	3,27,474	3,02,010
भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	01-अगस्त-18	2/42 सी-IV	2020-21	3.5	3,79,928	3,82,984
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	12-नवम्बर-18	2/10 पातालसु सी-IIए	2020-21	4.5	7,62,906	4,92,408
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	14-दिसंबर-18	बारागढ़-III	2020-21	4.78	7,96,583	5,23,047
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	17-मई-19	31-कानासर	2020-21	4.5	8,80,320	4,92,408
शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	29-जुलाई-19	भल्लान-III	2020-21	6.25	9,78,865	6,83,900
तलारा ब्रिज से पनवी रोड का निर्माण	14-जनवरी-20	भल्लान-III	2020-21	8.296	21,02,410	9,07,782

प्रस्ताव का नाम	अंतिम अनुमोदन की तिथि	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डल अभिलेख में क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव एवं आकस्मिकताएं	प्रतिपूरक वनीकरण पर हुआ व्यय (रखरखाव सहित)
बुआई तक लिंक रोड	17-दिसंबर-18	तारापुर-III (भूमतीर)	2020-21	9.03	10,71,410	9,88,099
जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	02-नवम्बर-18	2/11 कोठी टिच्चिया	2020-21	22	36,66,282	24,07,328
हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	15-सितम्बर-17	कुकरी पिचे, गुरा का रूत व मटियाणी	2018-19	108	2,26,23,300	1,23,52,176
योग				**182**	**3,55,44,527**	**2,04,21,342**

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

जैसाकि उपरोक्त परियोजना की वार्षिक संचालन योजना से स्पष्ट है कि विभाग ने वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण पूर्ण करने का दावा किया था एवं केवल रखरखाव से संबंधित व्यय किया जाना था। परंतु अभिलेखों में वन संरक्षण अधिनियम के मामले-वार व्यय आंकड़े नहीं पाए गए, जिनके अभाव में अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मामले-वार व्यय की गणना की गई।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.4 गलत डाटा (विवरण) अपलोड करना

ई-ग्रीन वॉच एक वेब-आधारित व उपयोगकर्ता-अनुकूल एप्लिकेशन है जो पारदर्शी, विश्वसनीय एवं जवाबदेह है। यह एकीकृत ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष एवं योजना प्राधिकरण द्वारा वानिकी क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी व मूल्यांकन हेतु अस्थायी परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

तदहेतु राज्य वन विभाग को अपवर्तित एवं प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के नक़्शे व जीपीएस फाइलों की स्कैन प्रतिलिपि केएमएल प्रारूप में अपलोड करना अपेक्षित है। केएमएल एक फ़ाइल स्वरूप है जिसका उपयोग गूगल अर्थ या गूगल मैप जैसे टूल (साधन) में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पोर्टल पर राज्य विभाग को पौधों, क्षेत्र व प्रजातियों की संख्या इत्यादि सहित संचालन के प्रथम वर्ष से पांचवें वर्ष तक विभिन्न अवधि के वृक्षारोपण कार्यों का विवरण भी प्रदान करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केएमएल फाइलों के दो अलग-अलग सेट सिस्टम पर अपलोड किए गए थे। नौ मामलों में https://egreenwatch.nic.in/FCAProjects/Public/CALs/View_Download_CALand_KML.aspx पर उपलब्ध केएमएल फाइलों में वे प्रतिपूरक वनीकरण स्थल प्रदर्शित हुए, जो अन्य राज्यों में थे। पांच मामलों में उपरोक्त लिंक में कोई जानकारी

उपलब्ध नहीं थी एवं दो मामलों में यद्यपि वन संरक्षण अधिनियम मामलों का विवरण उपलब्ध था तथापि केएमएल फ़ाइल उपलब्ध नहीं थी, जैसाकि **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: पॉलीगोन का गलत डाटा अपलोड करने के मामले

मण्डल	परियोजना वर्ष	प्रस्ताव का नाम	जीपीएस आईडी	अपलोड की गई फाइल का नाम	अपलोड की गई फाइल अनुसार अवस्थिति	राज्य
सेराज	2020	तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	18496	CAL_18496.kml	बतौली	छत्तीसगढ़
कुल्लू	2018	मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	19490	CAL_19490.kml	कास्पेटी रोड	उत्तर प्रदेश
कुल्लू	2018	बुआई तक लिंक रोड	19574	CAL_19574.kml	खुंबा	हरियाणा
कुल्लू	2018	सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	19605	CAL_19605.kml	तोपचांची	झारखंड
कुल्लू	2017	33/11 केवी 2x1.6 एमवीए सब स्टेशन लुगवैली	19577	CAL_19577.kml	आईटीआई राजपुर	छत्तीसगढ़
कुल्लू	अनुपलब्ध	आपदा प्रबंधन व बचाव एवं पर्यटन हेतु हेलीपैड	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
धर्मशाला	अनुपलब्ध	बस स्टैंड, बाबा बरोह, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
कुल्लू	अनुपलब्ध	सीएनजी की आपूर्ति के लिए डॉटर बूस्टर स्टेशन	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
धर्मशाला	अनुपलब्ध	नगरोटा बगवां में एचआरटीसी कार्यशाला	अनुपलब्ध	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया
कुल्लू	2019	गांव जठानी तक लिंक रोड	19576	CAL_19576.kml	जींद	हरियाणा
कुल्लू	2018	ग्राम चकलानी तक लिंक रोड	19575	CAL_19575.kml	तलवंडी राणा	हरियाणा
कुल्लू	2018	भाटग्रांमौद से खडीहार रोड किमी 0/00 से 3/440	19573	CAL_19573.kml	थुराना	हरियाणा
सेराज	2019	शासकीय डिग्री कॉलेज गाडागुसैन, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	18296	CAL_18296.kml	सुखरी डबरी	छत्तीसगढ़
सेराज	2019	शासकीय कॉलेज सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	18961	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध
कुल्लू	2018	जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	19590	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध	फाइल अनुपलब्ध
कुल्लू	अनुपलब्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	----	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच

आगे यह पाया गया कि विभाग पौधों की संख्या, क्षेत्र व प्रजातियों, आदि के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं करा सका। इसके अतिरिक्त केएमएल फ़ाइलों के अलग-अलग सेट https://egreenwatch.nic.in/Public/Reports/View_Download_KML.aspx पर उपलब्ध थे,

जो कुल्लू प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते थे। डेटा के दोनों सेट संबंधित वन मंडलाधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए थे।

31 मार्च 2013 (हिमाचल प्रदेश सरकार) को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु अगस्त 2019 को आयोजित लोक लेखा समिति की कार्यवाही के दौरान विभाग ने बताया कि समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन हेतु डाटा ई-ग्रीन वॉच पर अपलोड किया जा रहा है। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर गलत व भ्रामक डाटा अपलोड किया जा रहा है, जिससे प्रभावी निगरानी हेतु कम जानकारी उपलब्ध होने के अतिरिक्त पोर्टल बनाने का उद्देश्य भी विफल हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.5 निष्पादन के दौरान अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अवस्थल में परिवर्तन

वन संरक्षण अधिनियम दिशानिर्देशों में वनेत्तर उपयोग हेतु वन भूमि के अनारक्षण अथवा अपवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदन करते समय प्रतिपूरक वनीकरण को केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। इस विस्तृत योजना में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चिह्नित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र का विवरण, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा, वर्षवार चरणबद्ध वानिकी क्रियाकलाप, रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण एवं विभिन्न क्रियाकलापों की लागत-संरचना सहित वनीकरण/प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्राप्त उपयुक्तता प्रमाणपत्र सम्मिलित होती है। वन मंडलाधिकारी द्वारा बनाई एवं प्रस्तुत की गई प्रतिपूरक वनीकरण योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है।

13 मामलों[14] में से छः मामलों (46 प्रतिशत) में प्रतिपूरक वनीकरण करने का स्थल परिवर्तित पाया गया। जिस स्थल पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया था, वह विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना में निरूपित, अनुमोदित एवं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत स्थल से भिन्न था। मण्डलों द्वारा परिवर्तित प्रतिपूरक वनीकरण अवस्थल के लिए न तो कोई विस्तृत योजना और न ही उनके परिवर्तन का कोई स्पष्टीकरण तैयार किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के अवस्थल में परिवर्तन अनुमोदित नहीं किया गया एवं ना ही पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को इन परिवर्तनों के विषय में सूचित किया गया। इन मामलों का विवरण **तालिका 3.12** में सारणीबद्ध किया गया है।

[14] प्रतिपूरक वनीकरण किए गए 16 मामलों में से 13 मामलों के सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध थे।

तालिका 3.12: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में परिवर्तन के मामले

प्रस्ताव का नाम	मण्डल का नाम	प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम
सीएनजी की आपूर्ति हेतु डॉटर बूस्टर स्टेशन	कुल्लू	2/10 पतालसु सी-IIबी	2/10 पातालसु सी-5
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	2/10 पातालसु सी-IIए	2/12 मथिवन सी-III
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	बारागढ़-III	बारागढ़ II
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	तारापुर-III (भूमतीर)	फटीभल्याणी, तारापुर
जिला कुल्लू में भनाग से प्रीनी तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	कुल्लू	2/11 कोठी टिच्चिया	2/10 पातालसु सी-5
हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-आईवीबी के तहत एनएच-21 के बजौरा से मनाली (किमी 248.300 से किमी 310 तक) खंड को दो/चार लेन का बनाना	कुल्लू	कुकरी पिचे, गुरा का रूत व मटियाणी	बीजी-III, हुरंग-III, मांडलगढ़-III

स्रोत: मण्डलीय आंकड़े

अभिलेखों में मंडल द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के परिवर्तित अवस्थल की कोई विस्तृत योजना, साथ ही उसमें परिवर्तन का स्पष्टीकरण दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, ना ही प्रतिपूरक वनीकरण के स्थल परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का साक्ष्य पाया गया। यह अनियमित एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध था, इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम मामले के प्रस्तुतीकरण के समय विस्तृत साइट-स्पेसिफिक प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार करने के उद्देश्य को विफल करता है।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.6 स्थलों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मूल्यांकन

इन 16 स्थलों में से चार स्थलों का मूल्यांकन आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एजीआईएसएसी)[15] की सहायता से, प्रतिपूरक वनीकरण एवं आरक्षित वनों[16]/सीमांकित संरक्षित वनों[17] में भूमि उपयोग-भूमि आवरण (एलयूएलसी) पर भू-स्थानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ किया गया। विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के लिए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए गए निर्देशांकों का विश्लेषण किया गया, जिसके परिणाम **तालिका 3.13** में दिए गए हैं।

---

15 राज्य में योजना व विकासात्मक गतिविधियों हेतु स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे), हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्यरत नोडल एजेंसी।

16 आरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित एवं पूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। आरक्षित वन में सभी गतिविधियां तब तक प्रतिबंधित हैं जब तक अनुमति न दी जाए।

17 सीमांकित संरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सीमित सुरक्षा वाला क्षेत्र है। संरक्षित वनों में व्यक्तियों या समुदायों के कोई भी मौजूदा अधिकार प्रभावित नहीं होते।

तालिका 3.13: खुले अवक्रमित वनों के बाहर किए गए वृक्षारोपण के विवरण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

परियोजना का नाम	मण्डल का नाम	कुल प्रतिपूरक वनीकरण भूमि	अति सघन वन/ मध्यम सघन वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	वनेत्तर क्षेत्र	खुले अवक्रमित वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
तालारा ब्रिज से पनवी रोड 3 तक का निर्माण	सेराज	8.3	0.00	5.57	2.73
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	4.5	2.10	0.80	1.60
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	9.03	0.00	8.36	0.68
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	4.78	4.78	0.00	0.00
योग		**27**	**7**	**15**	**5**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

जैसाकि स्पष्ट है, विभाग ने खुले अवक्रमित वन में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के मानदण्ड के सापेक्ष वनेत्तर एवं अति सघन वन/मध्यम सघन वन में प्रतिपूरक वनीकरण का दावा किया। "सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण" नामक परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उक्त प्रतिपूरक वनीकरण पूरे हरे-भरे जंगल में किया गया था।

इसने न केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य को विफल किया अपितु प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं के संदेहास्पद कार्यान्वयन को भी इंगित किया।

एजेंसी द्वारा किए गए जीआईएस विश्लेषण से पता चला कि "सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण" के मामले में चयनित स्थल बारागढ़ III था, जो स्थल-चयन के समय से पहले ही पूर्णतः अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता था, जैसाकि इस प्रतिवेदन के **अध्याय VI** (**परिच्छेद संख्या 6.2.2.3**) में छवि में दर्शाया गया है। स्रोत से स्पष्ट है कि वर्ष 2019 तक चयनित क्षेत्र पहले से ही अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता था।

कुल्लू मण्डल, रेंज-पतलीकुहल, बीट-पंकोट में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 **छवि सं. 4** से पुष्टि होती है कि प्रतिपूरक वनीकरण का 100 प्रतिशत स्थल अति सघन वन में आता है। वर्ष 2020 में उपरोक्त स्थल का सैटेलाइट छवि सं. 2 भी 100 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाता है।

फिर भी विभाग ने इस वन क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण करने का दावा किया। यह दावा इस मामले में खर्च की गई निधियों के दुरुपयोग की आशंका से भरा था।

इस प्रकार इन चार मामलों में मूल योजना के अनुसार वृक्षारोपण यद्यपि केवल खुले अवक्रमित वन में किया जाना था तथापि केवल छोटा प्रतिशत ही खुले अवक्रमित वन में किया गया एवं शेष अन्य क्षेत्रों में किए जाने का दावा किया गया। अतएव इन मामलों में विभाग का आंतरिक नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने सटेलाइट छबियों का अध्ययन करते समय संभवतः घने लैंटाना वाले वन क्षेत्रों को अति सघन वन/मध्यम सघन वन के रूप में मान लिया होगा। यह भी बताया गया कि कई दृष्टान्तों में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई केएमएल फाइलें, वृक्षारोपण के वास्तविक अवस्थल/स्थल से मेल नहीं खातीं। यह उत्तर काल्पनिक प्रकृति का था क्योंकि भारतीय वन सर्वेक्षण सम्पूर्ण देश के लिए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो वन क्षेत्र के नियमित राष्ट्रव्यापी मानचित्रण पर आधारित है एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके दीवार से दीवार तक मानचित्रण अभ्यास के बाद व्यापक ग्राउंड ट्रॉथिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंडलों से केएमएल फाइलें मंगाई गईं जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु ई-ग्रीन वॉच के साथ प्रति-सत्यापित की गई।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.1.4.7 स्थलों की गुणवत्ता

इन चार स्थलों के जीआईएस विश्लेषण से इनमें से दो स्थलों पर कृषि कार्य किए जाने के संकेत उजागर हुए, जो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के रखरखाव में वन विभाग द्वारा निगरानी की कमी को परिलक्षित करता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में कृषि करना एक स्वीकार्य गतिविधि नहीं है। विवरण नीचे **तालिका 3.14** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.14: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के भीतर अतिक्रमण के विवरण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

परियोजना का नाम	मण्डल का नाम	झाड़ियां	हरित आवरण	कृषि	चरागाह	कुल क्षेत्र
तलारा ब्रिज से पनवी रोड 3 का निर्माण	सराज	0.25	5.87	1.30	0.88	**8.30**
मैसर्स पारस स्टोन क्रशर	कुल्लू	0.00	1.69	0.00	2.81	**4.50**
बुआई तक लिंक रोड	कुल्लू	0.00	4.12	1.29	3.63	**9.04**
सोइल से टांडला तक सड़क निर्माण	कुल्लू	0.00	4.78	0.00	0.00	**4.78**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

यह दर्शाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण को लेकर विभाग के दावे वास्तविकता से अलग थे। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि विभाग की जानकारी के बिना वन भूमि की जुताई कैसे हो रही थी।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

3.2 निष्कर्ष

इन 16 मामलों के 360-डिग्री विश्लेषण से पता चला कि राज्य सरकार ने अपूर्ण डाटा (विवरण) प्रस्तुत किया था। सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु वन संरक्षण अधिनियम मामलों पर प्रक्रिया करने में अत्यधिक विलम्ब पाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अंतिम अनुमोदन एक बार प्राप्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार वन संरक्षण 1980 के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अपने आप स्थलों की अवस्थिति बदलती रही। इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का गलत डेटा (केएमएल फाइलें) ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया गया, जो राज्य/केंद्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। प्रतिपूरक वनीकरण को विनिर्दिष्ट खुले निम्नीकृत वन से इतर किया जा रहा था एवं इन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण के मामले पाए गए।

3.3 सिफारिशें

विभाग

- *सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब घटाने हेतु उचित क़दम उठाएं।*
- *सिस्टम में सही डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करें।*
- *अनुमोदित योजनाओं से विचलन के मामलों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु मामलों की समीक्षा करें एवं निधियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों की जांच करें।*
- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों से कृषि करना रोकने के तरीके खोजें।*